

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 37 / 2022

दायर दिनांक 08.04.2022

पुखराज

उनवान

बनाम

शंकरलाल

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 16.08.2023

—:निर्णय:—

वकील श्री भैरूशंकर गौड के वादी की ओर से अधिकार पत्र मय मिसल तलवी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सिगेह से तलब हुई। पत्रावली पेश हुई। हाजिर होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद आपसी समझौते से विद्रो किया जाने का निवेदन किया। साथ ही इस आशय का नोटेरीशुदा शपथ पत्र पेश किया जो शा0फा0 रहे। अतः वादी का प्रार्थना पत्र बाबत आपसी समझौते अनुसार राजमन्दी से वाद विद्रो स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है अत -पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

